

**कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।**


संख्या:-एम०ई०-३/२०२०/८७९

दिनांक:- 29.05.2020

**आवश्यक सूचना**

यू०पी० नीट पी०जी० २०२० के अन्तर्गत सम्पन्न प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा/एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रु० ३०,०००/- (रुपया तीस हजार), निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की क्लीनिकल सीट हेतु रु० १०,००,०००/- (रुपया दस लाख), प्री एवं पैराक्लीनिकल सीट हेतु रु० ५,००,०००/- (रुपया पांच लाख) एवं निजी क्षेत्र के एम०डी०एस० पाठ्यक्रम रु० २,००,०००/- (रुपया दो लाख) ऑनलाइन शिक्षण शुल्क तथा शैक्षणिक अभिलेखों की स्कैन प्रतियां कालेज/सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा कर अनन्तिम प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की गयी है।

अतः समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक ०४.०६.२०२० से १०.०६.२०२० के मध्य किसी कार्यदिवस में सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राजकीय क्षेत्र की सीटों का अवशेष शुल्क नगद (Cash) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों का अवशेष शिक्षण शुल्क का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० के पक्ष में जो लखनऊ में देय हो, जमा करते हुए अपने मूल शैक्षणिक/जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत अवशेष शिक्षण शुल्क/अभिलेख जमा नहीं किये जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये शिक्षण शुल्क/सिक्वोरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

  
(के०के०गुप्ता)  
महानिदेशक।